

क्रा : 86/23 घा.घ.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

श्री. पत्रवली वामो वरु किरा 13<sup>5</sup>/<sub>20</sub> को पेश हो।

सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

13<sup>5</sup>/<sub>20</sub>

पत्रवली प्रस्तुत वकील प्रणी उप। प्रांपउ प्रस्थान निषेधादा पर वरु सुनी गरी। प्रणी कृष्णवन्ना ने निवेदन किया कि क्षपणीगण बिना विधिक विभाग के नौके या विशिष्ट प्र-भाग का चेकन व सुई-सुई करे पर उत्तर है मत! क्षपणीगण के पाषेद किया जाये क्षपणीगण सेरखा 2, 9ता 12 के क्षपके जवब प्रांपउ में कनिचन किया है कि क्षपणीगण मगबल मुताल काबिग काबल है भूनि विवादित गरी है। प्रस्तुत तर्के, दस्तावेजात एवं जवब प्रांपउ को ध्यान में रखकर यह प्रतीत होता है कि वा वरु के तपा प्रीदि कि विधिक विभाग के विवादित कारकी को सुई-सुई चेकन काडि किया जाता है तो प्रणी को कपुलीप कीत हो सकती है तथा वरु का कनिच भी क्राण हो सकता है मत! वा वरु (वहुलपता) को दोके लिख दिनांक 23<sup>10</sup>/<sub>2023</sub> को जारी तंतरिक प्रस्थान निषेधादा कादेश को मूलपउ के अस्तारा तक स्थार किया जाता है। पत्रवली प्रस्तुत शुभा टैकल दाबिन फरल हो।

सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

